



DRONACHARYA

Group of Institutions



Congratulations!

For Being Selected In

Internship Programme at ISSA, (DRDO)



MR. KRISHNA SAXENA
Roll No : 17407 | CSE (AIML)

भारत सरकार, रक्षा विभाग
पुष्पि अकादमि एवं विज्ञान संस्थान
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
संस्थापक भवन, दिल्ली-110054
फोन : +91-11-23882440
फैक्स : +91-11-23819033
ईमेल : director.issa@gov.in

DRDO

Govt. of India, Min of Defence
Institute for Systems Studies & Analyses
Defence R & D Organization
Motilal House, Delhi-110054
Phone : +91-11-23882440
Fax : +91-11-23819033
E-mail : director.issa@gov.in
Date : 28 April 2025
To : ISSA /HRD/Student Training/2025

सम्स्त छात्र व्यवहार निर्देशक के नाम से किए जाये
All correspondence to be addressed to the Director

सेवा में / To
Krishna Saxena
Dr. Krishna Saxena
Institution (CSE)

Mentor

विषय: छात्र प्रशिक्षण (हाईब्रिड मोड)
Sub: Student Training (Hybrid mode)

1. यह संस्थान आपको रिपोर्टिंग से कॉलेज द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि प्रदान करती है। आपको निर्दिष्ट जगह है कि इस पत्र के जारी होने के उपरांत 15 दिनों के भीतर पुष्टि करें। पुष्टि नहीं करने की स्थिति में आपका प्रशिक्षण निरस्त करके हुए आपकी जगह प्रशिक्षण सूची के छात्र/छात्राओं को दी जाएगी।
The Institute provides you duration of training as per the letter issued by the college. You are directed to provide your confirmation through mail within 15 Working days after the issue of this letter along with the supporting documents mentioned in the Sr. No.5. In case of unable to report, your training will be treated as canceled and opportunity will be given to waiting list candidates.

2. यह संस्थान में लाया जाता है कि आपको कोई वजीवा नहीं दिया जायेगा तथा ना ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
It may be noted that no stipend/employment will be granted to you and he/she will not be provided with accommodation.

3. डीआरडीओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में किसी भी प्रशिक्षु छात्र को प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो किन्हीं भी प्रकार की घोट आने पर वे डीआरडीओ द्वारा प्रतिपूर्ति/मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।
The DRDO will also not be liable for compensation in case of personal injury caused by accident arising in the course of students' attachment to DRDO Labs/Establishments.

4. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधान इस योजना में लागू नहीं होंगे।
The provisions of Apprentices Act 1961 do not apply to this scheme.

5. छात्र को उनके प्रत्येक वर्ष की सवीक्षा के उपरांत ही रखा जायेगा। प्रशिक्षु को राजस्वित अधिकारी द्वारा जारी करार प्रमाण पत्र प्राप्त होना, अपने आवास का पता और दो पासपोर्ट आकार के फोटो (सहैब बैकग्राउंड के साथ) प्रस्तुत करने होंगे।
ही बायोमेट्रिक, कॉलेज रिकमंडेशन एवं लेबर द्वारा भेजे गये ट्रेनिंग पत्र (प्रत्येक की 03 प्रतियाँ) प्रस्तुत करें। रिपोर्टिंग स्थान पर उपस्थित रहना।
आपका संकेत : 100, संकेतक : 100, संकेतक : 100, संकेतक : 100



(Defence
Research and
Development
Organisation)